आज अदालत **न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी**, मुकाम **जोधपुर**

अपीलांटः— **बनाम** रेस्पोडेन्टस्ः—

बंशीलाल वगैरा — स्व. पुखराज भाटी के वारिसान वगैरा

अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम, **आदेश दिनांकः— 24 जनवरी 2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
24.01.2021	बहस अपीलांट अधिवक्ता की अपील एवं धारा 5 म्याद अधिनियम पर सुनी गयी। बहस के दौरान अपीलांट विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट स्व. श्री मंगलाराम भाटी के उत्तराधिकारी है। मंगलाराम भाटी के तीन पुत्र स्व. श्रीराम, बंशीलाल, स्व. पुखराज व एक पुत्री श्रीमती अमिया थे। जिनमें से उनके दो पुत्रों स्व. श्रीराम व स्व. पुखराज का देहान्त हो चुका है अपीलांट 3/1 ता 3/7 स्व. श्रीराम के वारिसान एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 ता 1/8 स्व. पुखराज के वारिसान है। मंगलाराम भाटी के तीनो पुत्र व पुत्री प्रथम श्रेणी के वारिसान थे व है। ग्राम बनाड़ के खसरा नं. 301 मि. (वर्तमान में 310/6) रकबा 6 बीघा आई हुई है उक्त भूमि अपीलांट के पिता स्व. मंगलाराम के कब्जा काश्त की व खातेदारी की भूमि थी मंगलाराम के जीवनकाल से ही तीन पुत्रो व एक पुत्री यानि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट का कब्जा था व है जिसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है। स्व. मंगलाराम पुत्र भाणुराम का सन् 1971 में देहान्त हो चुका है। स्व. मंगलाराम के देहान्त होने के बाद रेस्पोडेन्ट सं. 1 स्व. पुखराज ने राजस्व अधिकारियों से मिलावट कर विवादित फौतदगी नामान्तरकरण संख्या 379 दिनांक 15.11.1975 को अकेले के नाम भरवा लिया जबकि मंगलाराम के देहान्त के बाद यह नामान्तरकरण उके तीन पुत्रो व एक पुत्री के नाम स्वीकार किया जाना था। लेकिन उक्त नामान्तरकरण बिना सुने भरा गया है जो विधि विरूद्ध है जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट को पूर्व में इस नामान्तरकरण की जानकारी नहीं थी अपीलांट को वहम था की उनको अधिकारो से वंचित कर दिया जायेगा इस कारण अपीलांट साधारण व्यक्ति होने के कारण राजस्व रेकर्ड नहीं संभाला। अपीलांट ने माह सितम्बर 2018 में पटवारी हल्का से सम्पर्क कर रेकर्ड की नकले प्राप्त की तब प्रथम बार जानकारी हुई इसलिए हुई जानकारी के अनुसार यह म्याद प्रस्तुत की गई है ऐसे प्रकरणो में म्याद का बिन्दु लागू ही नहीं होता है। क्योंकि दिनांक 15.11.1975 को पूर्ण यप से गलत नामान्तरकण स्वीकार किय गया था। इसलिए अपील में हुई देरी को माफ किया जावे व अपीलांट को अपील को गुणावगुण पर सुना जाकर निस्तारण फरमाया जावें। हमने प्रस्तुत अपील, धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना—पत्र, नामान्तरकरण संख्या 379 एवं अपीलांट अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान दिये गये तर्को का अवलोकन कर विचार किया गया। नामान्तरकरण पंजिका के नामान्तरकरण संख्या 379 दिनांक 15.11.1975 को ग्राम पंचायत बनाड़ द्वारा स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तरकरण में मंगलाराम पुत्र भाणूराम जाति घांची सा. देह खातेदार के फौत होने पर उनके जायदा लड़के पुखराज पुत्र मंगलाराम घांची सा. देह खातेदार के नाम इन्द्राज किया गया। जबकि स्व. मंगलाराम के तीन पुत्र स्व. श्रीराम, बंशीलाल, स्व. श्री पुखराज व एक पुत्री श्रीमती अमिया	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (राज.)

थी। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार उक्त तीनो पुत्र व एक पुत्री स्व. मंगलाराम जी के प्रथम श्रेणी के वारिसान है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 व 9 के अनुसार उक्त वादग्रस्त जायदाद पर सभी वारिसान का बराबर–बराबर हिस्सा निहित है। लेकिन विवादित नामान्तरकरण संख्या 379 स्व. मंगलाराम के फौत होने पर केवल मात्र उनके एक पुत्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 पुखराज के नाम भरा गया जो विधि विरूद्ध है। सरपंच व राजस्व अधिकारियों का यह दायित्व था को स्व. मंगलाराम के विधिक उत्तराधिकारियों की जांच करे एवं उनके विधिक वारिसानों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिए था। इस उक्त नामान्तरकरण संख्या 379 दिनांक 15.11.1975 को जो स्वीकृत किया गया वह विधि के विपरीति व त्रुटिपूर्ण है इसलिए उक्त नामान्तरकरण प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है।

अतः अपील अपीलांट की स्वीकार की जाकर अपील में हुई देरी को कन्डोन करते हुए धारा 5 मयाद अधिनियम का स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत बनाड़ द्वारा भरा गया अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 379 दिनांक 15.11.1975 का निरस्त किया जाता है। उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार जोधपुर को प्रति प्रेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि स्व. मंगलाराम पुत्र भाणुराम जाति घांची के समस्त विधिक वारिसानों की जांच करते कर उनको समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करे।

आदेश आज दिनांक 21 जनवरी 2021 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (राज.)